

न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.)

क्रमांक / 1157 / प्रवाचक / 2020

सीधी, दिनांक 15 जनवरी 2020,

प्रति,

✓ माननीय रजिस्ट्रार नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल  
बेन्च भोपाल

(राज्य सूचना आयोग भवन, तीसरी मंजिल), अरेरा हिल्स, भोपाल

विशय:- खनिज रेत अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने पर जब्त किये गये  
वाहन को परिदत्त किये जाने की सूचना भेजने बावत्।

संदर्भ :- मा.अधिकरण का एम.ए.नम्बर 288/2015 मूल आवेदन नम्बर 146/2014  
(सी.जेड) में पारित आदेश दिनांक 18 मई, 2015

कृपया विषयांकित संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। सीधी  
जिला अन्तर्गत खनिज रेत अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को जब्त  
कर वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु खनि अधिकारी सीधी एवं थाना प्रभारियों के  
माध्यम से प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित वाहन स्वामी को  
सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में खनिज राजसात किया जाकर वाहन  
स्वामी को अर्थदण्ड अधिशोषित करते हुये अर्थदण्ड व राजसात की राशि जमा कर दिये  
जाने पर वाहन स्वामी को जब्त वाहन वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया है।  
संबन्धित प्रकरण की सूची तैयार करायी जाकर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न :-सूची उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर  
जिला सीधी(म.प्र.) 20

दिनांक 16.10.2019 वा.क्र.मांक 16.10.2019 का.प्र.आदेश)

खनिज रेत अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने पर जब्त वाहन को वाहन स्वामी को वापस करने के पारित आदेश की सूची

क्र	प्रकरण क्रमांक / आदेश दिनांक	जब्त वाहन का प्रकार व क्रमांक	जब्त दिनांक	वाहन स्वामी का नाम	अर्थदण्ड की राशि (रुपये)	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्र.क.0190 /अ-67 /2017-18 दिनांक 02.03.2019	टैक्टर सिल्वर कलर बिना नम्बर	25.07.2018	वृजेश द्विवेदी पिता रामभरोषा द्विवेदी निवासी ग्राम वार्ड क009 नगर परिषद रामपुर नैकिन	20000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसात किया गया।
2	प्र.क.0 91अ67 /2018-19 आदेश दिनांक 08.04.2019	वाहन कमाक एम. पी. 53 एच. ए. 2036	16.07.2018	राजेन्द्र कुमार गुप्ता पिता श्रीकृष्ण गुप्ता निवासी ग्राम पडखुरी तहसील रामपुर नैकिन	39650.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसात किया गया।
3	प्र.क.92अ67 /18-19आदेश दिनांक 8.04.2019	वाहन हाइवा कमाक एम. पी. 53 जी ए 3293	05.07.2018	प्रदीप कुमार पिता धर्मराज सिंह गहरवार नि कोलदहा तह चुरहट	10,000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसात किया गया।
4	प्र.क.089अ67 /2018-19 दिनांक 09.04.2019	वाहन हाइवा कमाक एम. पी. 17 एच. एच. 4202	8,9,3,2019	नीलेश कुमार पिता बालमुकुन्द पाण्डेय निवासी ग्राम देवतालाव मउगंज जिला शेवा	35,000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसात किया गया।
05	प्र.क.090अ67 /2018-19 दिनांक 06.04.2019	वाहन कमाक एम. पी. 66 जी.1114	25.03.2019	गो जयश्रीमिनिरल माजन मोड बैदन जिला सिंगरौली	20,000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसातकियागया।
06	प्र.क.0006 /अ-67 /2019-20 दिनांक 25.05.2019	हाइवा कमाक एम.पी. 17 एच. एच. 4438	20.04.2019	वुद्धिमान सिंह पिता रामेश्वरसिंह ग्राम खजुआ तौर जिला शेवा	35,000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसातकियागया।
07	प्र.क.0007 /अ-67 /2019-20 दिनांक 25.05.2019	हाइवा कमाक एम.पी. 18 एच. 4918	31.10.2018	राजेन्द्र पिता रामगोपाल कुशवाहा. निवासी ग्राम सरिया थाना रामनगर	35,000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसात किया गया।
08	प्र.क.0008 /अ-67 /2019-20 दिनांक 03.06.2019	हाइवा कमाक एम.पी. 19 एच. एच.ए. 3968	02.10.2017	आकाश मिश्रा पिता राजेश कुमार मिश्रा सा नदना थाना	35,000.00	जब्त खनिज रेत शासन पक्ष में राजसात किया गया।